

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

— अधिसूचना —

राँची, दिनांक- 20/12/2021

संख्या-11/क0च0आ0-02-04/2016 का0-...8632.../झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के अधिसूचना संख्या 3846 दिनांक 10.08.2021 के द्वारा "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021", अधिसूचना संख्या 3847 दिनांक 10.08.2021 के द्वारा "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021" एवं अधिसूचना संख्या 3848 दिनांक 10.08.2021 के द्वारा "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021" का गठन किया गया है। उक्त नियमावलियों में पत्र-2-चिह्नित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा के संबंध में निम्नांकित प्रावधान किया गया है:-

" पत्र-2-चिह्नित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा-

i) राज्यस्तरीय पदों के लिए चिह्नित 12 (बारह) क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँडुख(उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ii) जिला स्तरीय पदों के लिए जिलावार चिह्नित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का विकल्प होगा। जिलावार चिह्नित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं की सूची एवं पाठ्यक्रम कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अलग से संसूचित किया जाएगा।"


उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिलास्तरीय पदों के लिए पत्र 2 में क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं को जिलावार निम्नवत् चिह्नित किया जाता है :-

क्र०	जिला का नाम	जनजातीय भाषा	क्षेत्रीय भाषा
1.	राँची	कुँडुख, खड़िया, मुण्डारी, हो, संथाली	नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, बंगला
2.	लोहरदगा	कुँडुख, असुर, बिरजिया	नागपुरी
3.	गुमला	कुँडुख, खड़िया, असुर, बिरहोरी, बिरजिया, मुण्डारी	नागपुरी
4.	सिमडेगा	खड़िया, मुण्डारी, कुँडुख	नागपुरी
5.	प० सिंहभूम	हो, भूमिज, मुण्डारी, कुँडुख, संथाली	कुरमाली, उड़िया

क०प०उ०

6.	पू0 सिंहभूम	मुण्डारी, हो, भूमिज, संथाली, कुडुख	कुरमाली, बंगला, उड़िया
7.	सरायकेला	संथाली, मुण्डारी, भूमिज, हो	पंचपरगनिया, उड़िया, बंगला, कुरमाली
8.	लातेहार	कुडुख, असुर, बिरजिया	नागपुरी, मगही
9.	पलामू	कुडुख, असुर	नागपुरी, मगही, भोजपुरी
10.	गढ़वा	कुडुख	नागपुरी, मगही, भोजपुरी
11.	दुमका	संथाली, माल्टो	खोरटा, बंगला, अंगिका
12.	जामताड़ा	संथाली	खोरटा, बंगला, अंगिका
13.	साहेबगंज	संथाली, माल्टो	खोरटा, बंगला, अंगिका
14.	पाकुड़	संथाली, माल्टो	खोरटा, बंगला, अंगिका
15.	गोड्डा	संथाली, माल्टो	खोरटा, अंगिका, बंगला
16.	हजारीबाग	संथाली, कुडुख, बिरहोरी	नागपुरी, कुरमाली, खोरटा
17.	कोडरमा	संथाली	कुरमाली, खोरटा
18.	चतरा	संथाली, कुडुख, मुण्डारी, बिरहोरी	नागपुरी, खोरटा, मगही
19.	बोकारो	संथाली, हो, मुण्डारी	नागपुरी, कुरमाली, खोरटा, बंगला, भोजपुरी, मगही
20.	धनबाद	संथाली	नागपुरी, खोरटा, कुरमाली, बंगला, भोजपुरी, मगही
21.	गिरिडीह	संथाली	खोरटा, कुरमाली
22.	देवघर	संथाली	खोरटा, अंगिका, बंगला
23.	रामगढ़	संथाली, कुडुख, बिरहोरी	नागपुरी, कुरमाली, खोरटा
24.	खूंटी	कुडुख, खड़िया, मुण्डारी	नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(वन्दना दादल)
19.12.21

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-11/क0च0आ0-02-04/2016 का0-8630/राँची, दिनांक-20/12/2021

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(वन्दना दादल)
19.12.21

सरकार के प्रधान सचिव।

क०प०उ०

ज्ञापांक-11/क0च0आ0-02-04/2016 का0-8630/राँची, दिनांक-20/12/2021

प्रतिलिपि:- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक, डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19.12.21
(वंदना दादेल)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-11/क0च0आ0-02-04/2016 का0-8630/राँची, दिनांक-20/12/2021

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19.12.21
(वंदना दादेल)

सरकार के प्रधान सचिव।